सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 854 राँची, गुरुवार, 20 कार्तिक, 1938 (श०)

12 अक्टूबर, 2017 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

आदेश

12 सितम्बर, 2017

आदेश संख्या-12/आरोप-10-03/2017 का.- 9756 -- श्री दीपक कुमार वर्मा, आप्त सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के विरूद्ध श्री सुरजीत कुमार सिंह, तत्कालीन जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, राँची के द्वारा दिनांक 19 मार्च, 2015 को ग्राम-हेथु में आयोजित शिविर में बिरसा मुंडा विमानपत्तन विस्तारीकरण परियोजना के अन्तर्गत ग्राम हेथू के अर्जित भूमि (खाता सं०-14, खेसर संख्या-1300, रकबा-0.36 एकड़) के विरूद्ध केनरा बैंक के ड्राफ्ट संख्या-704357 दिनांक 26 मार्च, 2015 के माध्यम से रू० - 20,38,418(बीस लाख अड़तीस हजार चार सौ अठारह रूपये मात्र) अवैध तरीके से धोखाधडी पूर्वक प्राप्त कर लेने का आरोप श्री सुरजीत कुमार सिंह, तत्कालीन जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, राँची के पत्रांक-1398, दिनांक 31 दिसम्बर, 2015 में प्रतिवेदित किया गया है ।

इस संबंध में श्री वर्मा, आप्त सचिव के विरूद्ध जगरनाथपुर थाना कांड संख्या-224/2015, दिनांक 4 जुलाई, 2015, भारतीय दंड संहिता की धारा-406,420 एवं 120बी के तहत वाद दर्ज किया गया है जिसमें ये माननीय उच्च न्यायालय, राँची के द्वारा ए०बी०ए० संख्या-223/2016 में पारित

न्यायादेश दिनांक 18 मई, 2016 के आलोक में जमानत पर है । इनका उक्त कृत्य सरकारी सेवक आचार नियमावली के प्रतिकूल है ।

2. श्री सुरजीत कुमार सिंह, तत्कालीन जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, राँची के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही के उपरांत विभागीय जाँच पदाधिकारी के द्वारा भी गलत ढंग से मुआवजा प्राप्त करने वाले श्री दीपक कुमार वर्मा जो झारखंड सरकार के कर्मी है, के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई करने हेतु तत्कालीन जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, राँची के पत्रांक-1398, दिनांक 31 दिसम्बर, 2015 के द्वारा प्रधान सचिव/सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को संबोधित पत्र के आलोक में श्री वर्मा से सरकारी राशि की वसूली हेतु प्रभावी कार्रवाई किये जाने की अनुशंसा की गयी है । उक्त के क्रम में श्री वर्मा को निलंबित करते हुए इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने के प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है ।

3. श्री वर्मा को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9(1)(क) के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है ।

4. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची रहेगा जहाँ वे प्रतिदिन बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली के अन्तर्गत उपस्थिति दर्ज करेंगे तथा उपस्थिति के आधार पर ही इन्हें झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-10 के तहत् जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ओम प्रकाश साह,
सरकार के उप सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 854-50